न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 656 सन 2020
अनवान :–

1. रामेश्वर पुत्र उदराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. साहबराम पुत्र उदराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. सतवीर पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 10/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 174/67 की कुल 0.5060हैक भूमि वादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 173/173 की कुल 0.2530हैक भूमि वादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 177/173 की कुल 0.759हैक भूमि वादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है तथा रोही मोजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 123/123 की कुल 0.7590हैक वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है।

वादी संख्या 1 की भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर एके खाता संख्या 174/67 के प0न0 360/423(54) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता व वादी संख्या 3 के खाता संख्या 177/173 के प0न0 360/423(54) के किला न0 10/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता व वादी संख्या 2 के खाता संख्या 173/173 के प0न0 360/423(54) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता दर्ज है।

वर्तमान उक्त रास्ता स्वीकृत है उसमें मोड आने के कारण काफी परेशानी होती है इसलिये वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी समझौता कर वादीगण के प0न0 360/423(54) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक 10/1 की 0.0250 ,11/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता को मुमकिन करवाकर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 123/123 के प0न0 359/423(55) के किला न0 5/2 ,6/2 ,15/2 प्रत्येक 0.250हैक गै0मु0रास्ता दर्ज करवाना चाहते है इसी अनुसार रास्ता से आवागमन करते आ रहे है जिससे सुविधा होती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादीगण एवं प्रतिवादीगण के समझौता के अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आपसी समझौता के अनुसार आवागमन की सुविधा के मध्यजनर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

1 ,2 ने निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है वर्तमान में जो रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज में मोड होने के कारण आवागमन में परेशानी होती है आवागमन की सुविधा के मध्यनजर वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से की रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 123/123 के प0न0 359/423(55) के किला न0 5/2 ,6/2 ,15/2 प्रत्येक 0.250हैक में रास्ता बनाया जाकर आवागमन करते आ रहे है जिसमें अधिक मोड भी नही है व आवागमन में सुविधा भी हो रही है वादीगण व प्रतिवादीगण के आपसी समझौता के अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज भी नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। परोकार राज ने कथन किया की आपसी सहमति से रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 174/67 की कुल 0.5060हैक भूमि वादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 173/173 की कुल 0.2530हैक भूमि वादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 177/173 की कुल 0.759हैक भूमि वादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है तथा रोही मोजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 123/123 की कुल 0.7590हैक वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है।

वादी संख्या 1 की भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर एके खाता संख्या 174/67 के प0न0 360/423(54) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता व वादी संख्या 3 के खाता संख्या 177/173 के प0न0 360/423(54) के किला न0 10/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता व वादी संख्या 2 के खाता संख्या 173/173 के प0न0 360/423(54) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता दर्ज है।

वर्तमान उक्त रास्ता स्वीकृत है उसमें मोड आने के कारण काफी परेशानी होती है इसलिये वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी समझौता कर वादीगण के प0न0 360/423(54) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक 10/1 की 0.0250 ,11/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता को मुमकिन करवाकर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 123/123 के प0न0 359/423(55) के किला न0 5/2 ,6/2 ,15/2 प्रत्येक 0.250हैक गै0मु0रास्ता दर्ज करवाना चाहते है इसी अनुसार रास्ता से आवागमन करते आ रहे है जिससे सुविधा होती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादीगण आपसी सहमति के आधार पर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाना चाहते है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 174/67 की कुल 0.5060हैक भूमि वादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 173/173 की कुल 0.2530हैक भूमि वादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चक 15

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

एनटीआर ए के खाता संख्या 177/173 की कुल 0.759हैक्ट भूमि वादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है तथा रोही मोजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 123/123 की कुल 0.7590हैक्ट वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है।

वादी संख्या 1 की भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर एके खाता संख्या 174/67 के प0न0 360/423(54) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0रास्ता व वादी संख्या 3 के खाता संख्या 177/173 के प0न0 360/423(54) के किला न0 10/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0रास्ता व वादी संख्या 2 के खाता संख्या 173/173 के प0न0 360/423(54) के किला न0 11/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0रास्ता दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से खेतों में आवागमन की सुविधा हेतु रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 123/123 के प0न0 359/423(55) के किला न0 5/2 ,6/2 ,15/2 प्रत्येक 0.250हैक्ट भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग में ले रहे है जो सुविधाजनक है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की आपसी सहमति से खेतो में आवागमन हेतु रास्ता बनाया गया हे जो सुविधाजनक है जिसे राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

कोई भी काश्तकार अपने खेतो में आवागमन की सुविधा हेतु रास्ता का चयन किया जाकर आपसी सहमति से रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में जो रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अधिक मोड है जिससे आवागमन में परेशानी होती है इसलिये आवागमन में सुविधा की दृष्टि से वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया जाकर उसके बदले में पुर्व में दर्ज रास्ता को अपने खेत में दर्ज करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतित होता है क्योकि यदि रास्ता किसी खातेदार के खेत में से दिया जाता है तो उसके बदले में भूमि दी जाती है हस्तगत प्रकरण में भी खातेदारों ने रास्ते में अपनी खातेदारी भूमि जितनी दी गई है उतनी भूमि ही वापस लेना चाहते है जो न्यायोचित है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 123/123 की मुश्तरका खाते के प0न0 359/423(55) के किला न0 5/2 ,6/2 व 15/2 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.0250हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है बदले में रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के प0न0 360/423(54) किला न0 1/1 की 0.0250हैक्ट व 10/1 की 0.0250हैक्ट व 11/1 की 0.0250हैक्ट के वादीगण सं 1,3,2 खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामेश्वर पुत्र उदराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. साहबराम पुत्र उदराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. सतवीर पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 656 सन 2020 निर्णय दिनांक– 10/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 123/123 की मुश्तरका खाते के प0न0 359/423(55) के किला न0 5/2 ,6/2 व 15/2 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.0250हैक रास्ता स्वीकृत किया जाता है बदले में रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के प0न0 360/423(54) किला न0 1/1 की 0.0250हैक व 10/1 की 0.0250हैक व 11/1 की 0.0250हैक के वादीगण क्र 1,3,2 खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner